२८ न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी R-400-I-15

राजकुमार पुत्र श्री हरीशरण दांगी
निवासी खरियानाई तहसील व जिला–दतिया

विरूद्व

1. श्रीमती मिथला पुत्री आशाराम दांगी
पत्नी रामजीशरण दांगी निवासी ग्राम नादखास
तहसील मोंठ जिला–झांसी उ.प्र.

2. श्रीमती गिरजा देवी पुत्री आशाराम दांगी
पत्नी श्री स्वामीशरण दांगी निवासी ग्राम
कल्याणपुरा खुर्द तहसील व जिला–दतिया

3. श्रीमती शारदा देवी पुत्री आशाराम दांगी
पत्नी श्री जगदीश सिंह निवासी ग्राम कामद
तहसील व जिला–दतिया

4. श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री आशाराम दांगी
पत्नी वीरेन्द्रग सिंह दांगी निवासी ग्राम
मवई तहसील व जिला दतिया म.प्र.

5. श्रीमती शीला देवी पुत्री आशाराम दांगी
पत्नी हरीशरण दांगी निवासी ग्राम भर्दोली
तहसील भाण्डेर जिला–दतिया म.प्र.

दि. 23.2.15 को श्री मुकुल ... द्वारा प्रस्तुत
अभि. ... 23-2-15

23/2/15

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–01–2015 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अपर आयुक्त का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 400-I/15 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2015	यह निगरानी प्रकरण कमांक 400–एक / 15 राजस्व मण्डल के समक्ष अपर आयुक्त, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 111 / 13–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–1–15 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने न्यायालय के प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु नियत किया है । 2 / मेरे समक्ष दिनांक 8–10–15 को उभयपक्ष के पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं ने यह प्रकरण अपर आयुक्त को उनके समक्ष की अपील के विधिवत निराकरण के लिए प्रत्यावर्तित करने हेतु संयुक्त आवेदन दिया है । 3 / प्रकरण अपर आयुक्त के समक्ष विषयांकित आदेश द्वारा अंतिम तर्क हेतु नियत होने के एवं उपरोक्त संयुक्त आवेदन के प्रकाश में यह प्रकरण अपर आयुक्त को उनके प्रकरण में विधिवत आगामी कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा0द0 हो । (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	